(c) if not, the reasons for issuing such orders for the above-mentioned officers ; and

(d) the steps taken by Government for withdrawing the said orders ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (d). To ensure efficiency and for the convenience of the staff, orders have been issued restricting the movement for about two hours daily during their normal working time in certain railway offices including the Foreign Traffic Offices at Delhi and Ajmer but not in the Ministry of Railways. Steps have been taken to see that no inconvenience is caused to the employees because of these orders

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के तृतीय श्रेणी के लिपिकों का स्थानान्तरण

3236. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम चरण :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों पर कार्य करने वाले या तृतीय श्रेणी के लिपिकों से स्थानान्तरण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने व्यक्तियों को स्थानान्तरित किया गया तथा किस आधार पर ; और

(ख) क्या सरकार उपरोक्त अवधि में बीकानेर डिवीजन में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम सम्बन्धी ब्यौरा तथा स्थानान्तरण के आधार बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पिछले दो वर्षों में उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल के तृतीय श्रेणी के लिपिको और तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों पर नियोजित व्यक्तियों से स्थानान्तरण के लिए क्रमशः 64 और 36 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से इस अवधि में जितने व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया उनकी संख्या क्रमशः 23 और 19 है। सामान्यतः इन कर्मचारियों क स्थानान्तरण का आधार घरेलू परिस्थितियां और व्यक्तिगत कारण थे।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या LT—2305/69]

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर नियुक्तियां

3237. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम चरण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में 31 अक्तूबर, 1969 तक बीकानेर डिवीजन में विभिन्न विभागों में तीसरी और चौथी श्रेणी के कितने पदों को सीधी भरती से भरा गया और कितने पदों को रोजगार नियोजन कार्यालय के माध्यम से भरा गया ; और

(ख) उनमें से कितने पदों पर स्थायी आधार पर और कितने पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की गई हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इस्टैब्लिशमेंट अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

3238. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम चरण :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बीकानेर डिवीजन के इस्टैब्लिशमेंट अधिकारी के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे किस किस्म की हैं ; और

(ख) उन अधिकारियों के नाम तथा पद नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनके सम्बन्ध में किस किस्म की कार्यवाही की गई है ?

त्रिधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

स्वास्थ्य के आधार पर पश्चिम रेलवे में टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के रूप में रेल कर्मचारियों की नियुक्ति

3239. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों के कितने कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में स्वास्थ्य के आधार पर टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की यह देखने के लिए कि कहीं ये लोग रोग अथवा अशक्तता से पीड़ित तो नहीं हैं, अच्छी तरह जांच करवा ली है ;

(ग) क्या यह सच है कि टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के पदों पर इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों ने अपने वेतन क्रम के अनुसार पदोन्नति की मांग की है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस शाखा में उनकी नियुक्ति होने के बाद टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों के शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाने पर उनके मूल विभागों में स्थानान्तरित नहीं किया जाता ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

त्रिधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 70

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). उस संवर्ग में तैनात किये जाने के बाद उनकी वरिष्ठता उसी संवर्ग में निर्धारित की जाती है और वे इस संवर्ग के अन्य कर्मचारियों के साथ और पदोन्नति के लिए विचार किये जा सकने के पात्र हो जाते हैं ।

(ङ) और (च). इस संवर्ग में समाहित होने के बाद अपनी मूल कोटियों से वे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं । सामान्यतः पुनः स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के लिए क्वार्टर

3240. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **रेलवे** मन्त्री 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी रेलवे में कुल कितने टिकट कलेक्टर और संगचल टिकट परीक्षक कार्य कर रहे हैं ; और उनमें से कितने लोग रेलवे क्वार्टरों में रहते हैं ;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में से कितने कर्मचारियों ने रेलवे क्वार्टरों के लिए आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ग) सरकार ने टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट निरीक्षकों के लिए कितने प्रतिशत रेलवे क्वार्टर आरक्षित किये हैं ;

(घ) क्या ये आरक्षित क्वार्टर सम्बन्धित व्यक्तियों को ही आवंटित किये जा

और